न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट हरिद्वार।

प्रकीर्ण प्रार्थना पत्र संख्याः– ..../2026

कम्प्यूटर पंजीयन संख्याः– 1323/2026

गौरी शंकर बनाम अज्ञात।

अभियोजन की ओर से विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारीः– श्री तुषार जोसाल
प्रार्थी/आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ताः– श्री एके श्रीवास्तव

दिनांकः 30.04.2026–

प्रार्थी गौरी शंकर पुत्र गोपाल सिंह निवासी टी–26ए रेलवे कालोनी लक्सर, जिला हरिद्वार की ओर से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि दिनांक 12.09.2025 को किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा प्रार्थी के खाता संख्या 3222055810, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया शाखा कालमुज कलामबाग रोड मुजफ्फरपुर के साथ मु0 75,000/–रुपये का ऑनलाईन फ्रॉड किया गया था, जिसके सम्बन्ध में प्रार्थी द्वारा अविलम्ब साईबर सैल पोर्टल में शिकायत दर्ज करायी गयी, जिस पर साईबर सैल द्वारा उक्त धनराशि में से कुछ धनराशि को होल्ड किया हुआ है। अतः उक्त धनराशि को प्रार्थी के खाता में रिलीज किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

इस स्तर पर उपलब्ध प्रपत्रों एवं साईबर क्राइम सैल जिला हरिद्वार की रिपोर्ट का अवलोकन किया गया।

प्रार्थना पत्र पर विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी एवं प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा उपलब्ध प्रपत्रों का अवलोकन किया।

प्रपत्रों के अवलोकन से दर्शित है कि साईबर क्राईम सैल हरिद्वार की आख्यानुसार ऑनलाईन शिकायत संख्या 33509250016950 से कुल धनराशि मु0 10,003.98/– रुपये होल्ड/लीन किया जाना दर्शाया गया है।

प्रार्थी द्वारा उक्त धनराशि मु0 10,003.98/–रुपये को अपने खाता में रिलीज किये जाने की प्रार्थना की गयी है। अतः प्रार्थी की उक्त होल्ड धनराशि को निम्न शर्त पर रिलीज किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता हैः–

1. प्रार्थी कुल 12,000/– रूपये की अण्डरटेकिंग तथा समान धनराशि का व्यक्तिगत बंधपत्र दाखिल करे कि भविष्य में यदि उक्त धनराशि को लेकर कोई विवाद होता है तो वह रिलीज करायी गयी धनराशि को न्यायालय में अविलम्ब जमा करेगा।

आदेश

प्रभारी साईबर क्राईम सेल हरिद्वार को निदेशित किया जाता है कि शिकायत संख्या 33509250016950 दिनांकित 12.09.2025 से सम्बन्धित होल्ड धनराशि कुल 10,003.98/–रुपये को प्रार्थी के खाता संख्या 3222055810, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया शाखा कालमुज कलामबाग रोड मुजफ्फरपुर में बाद आवश्यक कार्यवाही नियमानुसार अवमुक्त किया जाना सुनिश्चित करें। पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

दिनांकः 30.04.2026

(अविनाश कुमार श्रीवास्तव)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
हरिद्वार।